भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3314

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

चेक बाउंस के मामलों के लिए विशेष अदालत

3314. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के 33 लाख मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार को 25 विशेष न्यायालय स्थापित करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना भी आरंभ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, स्वयं संज्ञान ली गई रिट याचिका एसएमडब्ल्यू (आपराधिक) 2/2020 में, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प.लि. अधिनियम कहा गया है) के अधीन मामलों के निपटान में होने वाले विलंब पर विचार किया । माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तारीख 10.03.2021 के अपने आदेश के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ,प.लि. अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निपटान को आसान बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया था । समिति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और विशेष प.लि. न्यायालयों के निर्माण के संबंध में अपने सुझाव के अनुसरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 19.05.2022 के अपने आदेश में निदेशित किया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में, कुल 25 विशेष न्यायालयों में 01.09.2022 से 3.08.2023 की कुल एक वर्ष की अवधि के लिए आरंभिक अध्ययन आयोजित किया जाएगा । विशेष न्यायालयों का संचालन संबंधित उच्च न्यायालयों के दायरे में है ।

****